संख्या-14/1002/78-2-2014-211आई.टी./2013

प्रेषक,

जी0एस0 प्रियदर्शी,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर,
उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 8 सितम्बर, 2014

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में लेखाशीर्ष 2852-उद्योग-17-सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स द्वारा विभिन्न शासकीय सेवाओं को जनमानस तक पहुचाने के लिए कम्प्यूटराइजेशन-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में प्राविधानित धनराशि को स्वान योजनान्तर्गत ट्रांजेक्शन एडवाइजर/कन्सलटेन्ट संस्था के चयन उपरान्त कन्सलटेन्सी शुल्क के भुगतान हेतु अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेंटर फार ई-गवर्नेन्स द्वारा विभिन्न शासकीय सेवाओं को जनमानस तक पहुचाने के लिए कम्प्यूटराइजेशन-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि रू0 45.00 लाख (रूपये पैतालीस लाख मात्र) में से रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की स्वीकृति शासनादेश सं0-917-78-2-2014- 211आई.टी./2013 दिनांक 26 अगस्त, 2014 द्वारा स्वीकृति जारी की गयी थी। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू00 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) ट्रांजेक्शन एडवाइजर/कन्सलटेन्ट संस्था को कन्सलटेन्सी शुल्क के भुगतान हेतु प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैः-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर, आहरण तथा वितरण का लेखा-जोखा अपने यहा भी रखेंगे।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/दस-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गई प्रक्रियानुसार सेट्रल सर्वर के माध्यम से संबंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए धनराशि व्यय की जायेगी, यदि स्वीकृत धनराशि में कोई बचत होती है तो उसे शासन को अवगत कराते हुए कोषागार में जमा किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का उपयोग ट्रांजेक्शन एडवाइजर/कन्सलटेन्ट संस्था को कन्सलटेन्सी शुल्क के लिये ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-बी-1-2457/दस-2014-213/2014 दिनांक 22.07.2014 में दिये गये निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के ''अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्य उद्योग) के लेखाशीर्ष 2852-उद्योग (आयोजनागत) 07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग, 202 इलेक्ट्रानिक्स, 17-सेंटर फार ई-गवर्नेन्स द्वारा विभिन्न शासकीय सेवाओं को जनमानस तक पहुचाने के लिए कम्प्यूटराइजेशन-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(जी0एस0 प्रियदर्शी)
विशेष सचिव

संख्या-14/1002(1)/78-2-2014, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4- उद्योग निदेशक, निदेशालय कानपुर, उत्तर प्रदेश।
5- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय, सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/मुख्यमंत्री कार्यालय-3।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in